

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3, आजमगढ़

CNR No. UPAZ01-000038-1989

सत्र परीक्षण संख्या-17/1989

राज्य

बनाम विरेन्द्र राय आदि

अपराध सं०-132/88

धारा-147, 148, 149, 307 भा०

दं०सं० व 25/27 आयुध अधिनियम

थाना-सिधारी, जनपद आजमगढ़

दिनांक-04.05.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त विजय प्रताप सिंह व चन्द्रशेखर मिश्रा की हाजिरी माफी केवल आज के लिए स्वीकृत। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पिछली तिथि पर अभियुक्त वीरेन्द्र की मृत्यु के सन्दर्भ में आख्या प्राप्त हुई थी, परन्तु किसी भी पैरोकार का आख्या के सन्दर्भ में न्यायालय में साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है, जिसे अंकित कराया जाना नियमानुसार आवश्यक है।

न्यायालय द्वारा पिछली तिथि पर किये गये आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु विशेष लोक अभियोजक (Spl. G.A.) द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विशेष लोक अभियोजक (Spl. G.A.) को आदेशित किया जाता है कि वह नियमानुसार आदेश की एक प्रति प्राप्त करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही (पेशी व साक्ष्य पैरोकार) पुनः दिनांक 18.05.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़
J.O.Code UP2403